राज्यपाल ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की बैठक ली

राज्यपाल ने रेडक्रॉस तथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की बैठक ली है।

कोटा, (निसं)। राज्यपाल हरिभाऊ किशन राव बागड़े ने मंगलवार को राजभवन में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग तथा रेडक्रॉस की समीक्षा बैठक आयोजित की। बैठक में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर भी उपस्थित रहे। राज्यपाल ने टीबी मुक्त राजस्थान के लिए अभियान प्रभावी रूप से चलाए जाने के भी निर्देश दिए हैं। तहसील, गांव और जिला स्तर पर इस संबंध में विशेष कार्य करने और अगले तीन साल में राजस्थान को पूरी तरह से टीबी मुक्त करने के लिए सबको मिलकर प्रयास करने के निर्देश दिएं। राज्यपाल बागड़े ने रेडक्रॉस सोसायटी की समीक्षा बैठक में उसकी गतिविधियों के बारे में जानकारी ली। उन्होंने कहा कि रेडक्रॉस के तहत पीड़ित जनों की सेवा के साथ चिकित्सा सेवाओं में सहयोग, जागरूकता

■ 'टी.बी. मुक्त राजस्थान के लिए तेजी से हो कार्य'

लिए सतत प्रयास किए जाएं। उन्होंने टीबी मुक्त राजस्थान, अंगदान, पौधारोपण, रक्तदान आदि की जागरूकता के लिए विशेष कार्य किए जाने पर जोर दिया। बैठक में रेडक्रॉस सोसायटी के स्टेट चौयरमेन राजेश कृष्ण बिरला ने आरंभ में राज्यपाल का अभिनंदन किया। बिरला ने बताया कि ब्लड डोनेशन एवं टीबी निक्षय मित्र बनाकर टीबी मुक्त राजस्थान अभियान की ओर सक्रियता से बडा जा रहा है। राज्यपाल हरिभाऊ किसनराव बागडे ने कहा है कि राज्य के प्रत्येक नागरिक का स्वास्थ्य ठीक रखने के लिए चिकित्सा विभाग जवाबदेही रखते हुए कार्य करे। उन्होंने कहा कि जिस राज्य में स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर होती है, वही तेजी से विकास करता है। उन्होंने पिछड़े और आदिवासी जिलों में स्वास्थ्य सेवाओं पर ज्यादा ध्यान देने, इसकी मॉनिटरिंग रखते हुए प्रभावी कार्य किए जाने पर जोर दिया है। उन्होंने विभाग के रिक्त पदों को भरने के लिए तुरंत कार्यवाही करने और पदोन्नति भी यथासमय करवाने के निर्देश दिए हैं। बैठक में विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभ्रा सिंह, राज्य स्वास्थ्य मिशन के निदेशक जितेन्द्र कुमार सोनी ने विभाग की गतिविधियों के बारे में विस्तार से प्रस्तुतिकरण दिया। राज्यपाल के सचिव गौरव गोयल ने राजस्थान की चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में विषय प्रवर्तन किया। बैठक में रेडक्रॉस के स्टेट चेयरमैन राजेश कृष्ण बिरला व रेडक्रॉस सोसायटी के स्टेट जनरल सेक्रेट्री जगदीश जिंदल वाइस चेयरमैन विजय खत्री कोषाध्यक्ष रमेश मूंदडा एवं स्टेट मेंबर महेंद्र शर्मा भी उपस्थित रहे।

स्पेशल ट्रेन का संचालन का निर्णय

कोटा, (निसं)। रेल प्रशासन द्वारा अतिरिक्त यात्री भीड़ को क्लीयर करने के उद्देश्य से कोटा होकर गाड़ी सं 09037/09038 बांद्रा टर्मिनल-ढेहर का बालाजी-बांद्रा टर्मिनल के मध्य एक ट्रिप स्पेशल ट्रेन को चलाने का निर्णय लिया गया है। जिससे यात्रियों को भीड़ से राहत मिल सके। इस गाड़ी में विभिन्न श्रेणी के कुल 20 कोच होंगे। गाड़ी संख्या 09037, बान्द्रा टर्मिनस-ढेहर का बालाजी स्पेशल दिनांक 15 अगस्त गुरूवार को बान्द्रा टर्मिनस से रात 21.40 बजे रवाना होकर शुक्रवार को कोटा सुबह 10.45 बजे आगमन, सवाई माधोपुर 12.50 बजे आगमन कर शाम 16.00 बजे ढेहर का बालाजी पहुँचेगी। इसी प्रकार वापसी में गाड़ी संख्या 09038, ढेहर का बालाजी-बान्द्रा टर्मिनस स्पेशल दिनांक 16 अगस्त, शुक्रवार को ढेहर का बालाजी से 18.25 बजे रवाना होकर सवाई माधोपुर रात 21.00 बजे, कोटा 22.35 बजे आगमन कर शनिवार को 13.00 बजे बान्द्रा टर्मिनस पहुँचेगी। यह गाड़ी दोनों दिशाओं में बांद्रा टर्मिनल-ढेहर का बालाजी के मध्य बोरीवली, पालघर, वापी, वलसाड, सूरत, भरूच, वडोदरा, गोधरा, रतलाम, नागदा, कोटा, सवाई माधोपुर, दुर्गापुरा व जयपुर स्टेशनों पर रुकेगी। इस संबंध में वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक/जनसम्पर्क अधिकारी-कोटा रोहित मालवीय ने बताया कि यात्रियों की सुविधाओ हेतु सीजन में स्पेशल ट्रेनों को चलाया जाता है।

लोगों ने शराब की दुकान का विरोध किया

कोटा, (निसं)। अहिंसा सर्किल के पास आर.के.पुरम में शराब व मीट की दुकान बंद करवाने को लेकर सामाजिक, धार्मिक, व्यापारिक व आरकेपुरम के स्थानीयवासियों की ओर से विरोध प्रदर्शन किया गया। पी.पी.गुप्ता ने बताया कि त्रिवेणी धर्म नगरी जहां पर श्री आरकेपुरम बालाजी धाम, गुरूग्रंथ साहिब का गुरूद्वारा व त्रिकाल चौबीसी जैन तीर्थनकर भगवान महावीर का मंदिर जैसी पवित्र धरा पर तीन-चार दिन पूर्व आर.के.पुरम सेक्टर-ए के आवासीय क्षैत्र में प्रमुख अहिंसा सर्किल के पास वाईन शॉप एवं मीट की नई दुकानें खुली है, जो कि इस क्षैत्र की आवासीय एवं पॉश कॉलोनी है।

जहां आस-पास व दूरदराज से बहुतायत संख्या में मंदिरों में पूजा अर्चना के लिए श्रद्वालुओं का नियमित आवागमन रहता है, महिलाएं, बच्चे व वरिष्ठ नागरिक रोजाना इस रास्ते से घूमने के लिए सुबह शाम निकलते हैं। समाजसेवी अशोक यादव व विभाकर जोशी ने बताया कि शराब की दुकान जैन समाज को समर्पित अहिंसा सर्किल, मुनि विद्या सागर सर्किल और भगवान महावीर मार्ग के समीप है।

शराब की दुकान खुलने से क्षैत्र के रहवासियों को असामाजिक तत्वों के जमावडें से उत्पन्न समस्या से भविष्य में आये दिन खतरा पैदा होगा, अण्डे व मीट के ठेले लगेंगे और क्षैत्र में शांति भंग होंगी, इसको लेकर स्थानीयवासियों एवं विभिन्न संगठनों के लोगों में इसको लेकर काफी रोष

कोटा में शराब की दुकान नहीं खुलने देने की मांग को लेकर स्थानीय लोगों ने मौके पर पहुंचे आबकारी विभाग के अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा है।

व्याप्त है।

स्थानीय पार्षद मोहनलाल नंदवाना ने चेतावनी देते हुए मांग की है कि यहां लगी शराब व मीट की दुकान को तुरंत बंद कर इस क्षैत्र से दूर स्थानान्तरित करवाया जाए अन्यथा स्थानीय लोग यहां पर धरना देंगे। मौके पर न्यू मुकुन्दरा व्यापार संघ के अध्यक्ष धर्मेन्द्र गौतम व श्री आरकेपुरम बालाजी धाम सेवा समिति व जैन समिति व अन्य संगठनों के लोगों ने जिला आबकारी अधिकारी को इस विषय में त्वरित कार्यवाही करने के लिए ज्ञापन भी दिया।

इस अवसर पर पार्षद मोहनलाल नंदवाना, सुमित्रा खिंची, श्रीआरकेपुरम बालाजी धाम सेवा समिति के अध्यक्ष विशणुनारायण, त्रिकाल चौबीसी जैन समिति के मनोज बाकलीवाल, श्रीआरकेपुरम मोक्षधाम सेवा समिति के अध्यक्ष अशोक यादव, न्यू मुकुन्दरा व्यापार संघ के अध्यक्ष धर्मेन्द्र गौतम, हाड़ौती क्लब कोटा के महासचिव पी.पी.गुप्ता, मोर्निग फ्रेन्डस क्लब आरकेपुरम के अरविन्द गर्ग, पूर्व पार्शद प्रत्याशी विभाकर जोशी, कांग्रेस नेता विद्याशंकर गौतम, आरकेपुरम भाजपा मण्डल अध्यक्ष दिलीप शर्मा, पूर्व पार्शद सोनू गौतम, कलाल समाज के युवा अध्यक्ष चेतन पारेता, श्रीरामकृष्ण पुरम मंदिर समिति के महामंत्री योगेश विजयवर्गीय, आरकेपुरम बी सेक्टर हनुमान मंदिर के अध्यक्ष जे.पी.शर्मा, पृथ्वीराज गोचर, अजय गटटानी, वीर बहादुर सिंह हाडा, हरकचंद जैन, आदि सैकडों की संख्या में लोग उपस्थित थे।

वहीं मौके पर मौजूद आबकारी विभाग के अधिकारियों ने बताया कि लोगों की शिकायत पर जांच की जायेगी। नियमानुसार दो सौ मीटर के दायरे में धार्मिक स्थल या स्कूल आदि नहीं होने चाहिये। धार्मिक स्थल भी देवस्थान के अन्तर्गत रजिस्टर्ड होना आवश्यक है। उधर अनुज्ञाधारी ने दावा किया हैं कि उनकी दुकान नियमानुसार ही स्थापित की गयी है।

कार्यालय नगर निगम, कोटा उत्तर

राजीव गांधी भवन, दशहरा मैदान, कोटा
email : nnkota@gmail.com, websites : www.kotamc.org, Ph.: 0744-501903

क्रमांक : ननिको(उ0)/निर्माण/2024/61-74 दिनांक : 12.08.2024

-:: निविदा संशोधन सूचना ::-

नगर निगम कोटा उत्तर द्वारा जारी ई-निविदा सूचना संख्या 04/2024-25 क्रमांक 987-999 दिनांक 25.07.2024 में अपरिहार्य कारणों से निम्नानुसार संशोधन किया जाता है एवं निविदा में शर्त जोडी गई है। शर्त को का भी पढा जावें।

क्र.सं.	विवरण	पूर्व में	संशोधन तारीख
1	निविदा डाउनलोड व अपलोड की दिनांक	01.08.2024 से 12.08.2024 तक	01.08.2024 से 15.08.2024
2	धरोहर राशि/निविदा शुल्क/प्रोसेसिंग फीस जमा कराने के साक्ष्य की प्रति की तिथि	13.08.2024 (दोपहर 2.00 बजे)	16.08.2024 (दोपहर 02:00 बजे तक)
2	निविदा/तकनीकी बिड खोलने की दिनांक	13.08.2024 (सायं 4.00 बजे)	16.08.2024 (सायं 04:00 बजे)

शेष शर्तें यथावत रहेगीं।
राज.संवाद/सी/24/3731 अधिशाषी अभियन्ता

ध्यान-योग शिविर आयोजित

कोटा, (निसं)। पेंशन कार्यालय में अधिकारी एवं कर्मचारियों के लिए ब्रह्म कुमारी परिवार की ओर से दीदी ज्योति के सानिध्य में ध्यान-योग शिविर आयोजित किया गया। जिसमें सभी कार्मिकों ने उत्सुकता से भाग लिया। दीदी ज्योति द्वारा आत्म चेतना में रहने के तरीके बताए। शिविर में ध्यान एवं राजयोग के माध्यम से मन की वृत्तियों पर नियन्त्रण कर राजकार्य एवं सामाजिक और पारिवारिक जीवन में असीम शान्ति और जीवन को सुखमयी बनाए जाने के सम्बंध में व्याख्याएं दी। इस अवसर पर पेंशन विभाग की अतिरिक्त निदेशक पूनम मेहता ने ध्यान एवं राजयोग के महत्व पर प्रकाश डालते हुए राजकार्य में सेवाभाव के गुण को विकसित कर कार्य सम्पादित करने के सम्बंध में विचार व्यक्त किए।

एलन पटना टैलेंटेक्स 20 अक्टूबर को, रजिस्ट्रेशन जारी

कोटा, (निसं)। देश की ख्यातनाम प्रतिभा खोज परीक्षा एलन टैलेंटेक्स-2025 की घोषणा पटना में एलन सेंटर्स पर पोस्टर विमोचन के साथ की गई। आशीयाना दिघा, बोरिंग रोड, कंकड़बाग स्थित कैम्पस में स्टूडेंट्स के साथ मिलकर टैलेंटेक्स पोस्टर के विमोचन किए गए।

इस अवसर पर एलन के जोनल हेड एंड वाइस प्रसीडेंट डॉ. विपिन योगी ने बताया कि इस परीक्षा में ऑनलाईन और ऑफलाईन दोनों मोड में होने वाली इस परीक्षा में कक्षा 5 से 10 तक के स्टूडेंट्स शामिल हो सकते हैं। ऑनलाईन व ऑफलाईन दोनों मोड में रजिस्ट्रेशन जारी हैं। ऑनलाइन एग्जाम 5 से 20 अक्टूबर के मध्य विभिन्न स्लॉट में परीक्षा होगी। वहीं ऑफलाइन परीक्षा 20 अक्टूबर को

■ ऑनलाइन एग्जाम 5 से 20 अक्टूबर के मध्य विभिन्न स्लॉट में परीक्षा होगी

होगी। स्टूडेंट्स को नेशनल व स्टेट रैंक के साथ ही 2.50 करोड़ के कैश प्राइज तथा 250 करोड़ रुपए तक की एलन फीस में 90 प्रतिशत तक स्कॉलरशिप दी जाएगी। टैलेंटेक्स ऑफलाइन में 4750 कैश प्राईज तथा ऑनलाइन में 10500 कैश प्राईज दिए जाएंगे।

इसके साथ ही एलन क्लासरूम एवं डिजिटल कोर्सेज में एडमिशन पर 90 प्रतिशत तक स्कॉलरशिप प्राप्त कर सकते हैं। टेलेंटेक्स के लिए आवेदन पत्र एलन पटना के आशीयाना दिघा, बोरिंग रोड़, कंकड़बाग स्थित कैम्पस में ऑफलाईन फार्म उपलब्ध हैं।

परीक्षा में वे स्टूडेंट्स भी शामिल हो सकते हैं जो एलन के क्लासरूम कोर्स में प्रवेश ले चुके हों। विद्यार्थी को ू.जंससमदजम.बवउ पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भरकर रजिस्ट्रेशन करना होगा। ऑफलाइन फॉर्म मिलना शुरू हो चुके हैं। परीक्षा का परिणाम व पुरस्कार वितरण की घोषणा नवम्बर माह सक्सेस पॉवर सेशन के रूप में होगी। इसके दौरान संस्थान के जोनल हेड डॉ.विपिन योगी सर के साथ सेंटर हेड चेतन शर्मा, एडमिन हेड देवेन्द्र अवस्थी, पीएनसीएफ हेड विशाल केजरीवाल, कॉर्डिनेटर कीर्ति गर्ग, हेड ऑफिस से विवेक तोमर, निखिल कांत, झिनुक सेन एवं फैकल्टी मेंबर्स उपस्थित रहे।

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी कोटा विकास प्राधिकरण (केडीए)

क्रमांक : LU2012/KOT/2024-25/100747 **लोक सूचना** दिनांक : 13.08.2024

श्रीमती LUXMI RAJ SINGH पुत्र श्री KANWAR LAL जाति JATAV निवासी 178 SABARMATI COLONY KOTA RAJASTHAN ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का आवासीस प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात :-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	क्षेत्रफल (हेक्टे.)
1.	नांता, लाडपुरा (कोटा)	LUXMI RAJ SINGH S/O KANWAR LAL HISSA PURNA CASTE-JATAV RESIDENCE 178 SABARMATI COLONY KOTA KHATEDAR	1188	2400	0.24
				कुल	0.24

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क औरा राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएराओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते है। उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नही है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 13.08.2024 को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी, कोटा विकास प्राधिकरण (केडीए)

राजस्थान आवासन मण्डल कोटा वृत्त कोटा

क्रमांक-3036 **जाहिर आम सूचना** दिनांक 12.8.24

आवास संख्या 4-एन-12 तलवण्डी कोटा का आवंटन मण्डल द्वारा श्री सत्येन्द्र सिंह पुत्र श्री नरेन्द्र सिंह को किया गया था। श्री सत्येन्द्र सिंह पुत्र श्री नरेन्द्र सिंह के साथ इनके पिता श्री नरेन्द्र सिंह का नाम भी उक्त आवास में संयुक्त रूप से जोड़ा गया। इस आवास का पंजीयन श्री सत्येन्द्र सिंह पुत्र श्री नरेन्द्र सिंह एवं श्री नरेन्द्र सिंह पुत्र श्री धूल सिंह द्वारा दिनांक 01.02.1997 को अपने पक्ष में संयुक्त रूप से करवाया गया। मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर श्री नरेन्द्र सिंह पुत्र श्री धूल सिंह की मृत्यु दिनांक 26.08.2007 को हो चुकी है। इनकी मृत्यु उपरांत इनके वारिसों में श्री बृजेन्द्र सिंह पुत्र स्व.श्री नरेन्द्र सिंह, श्री सत्येन्द्र सिंह पुत्र स्व.श्री नरेन्द्र सिंह एवं श्रीमती मुक्ता सिंह पत्नी श्री जोगेन्द्र सिंह पुत्री स्व.श्री नरेन्द्र सिंह द्वारा उक्त आवास में निहित अपने अविभाजित हिस्से का त्याग जरिये परित्याग पत्र (रिलीज डीड) आलेखित कर दिनांक 22.10.2007 को अपनी माता श्रीमती समझ कुमारी पत्नी स्व.श्री नरेन्द्र सिंह के पक्ष में किया गया। श्री सत्येन्द्र सिंह पुत्र स्व.श्री नरेन्द्र सिंह एवं श्रीमती समझ कुमारी पत्नी स्व.श्री नरेन्द्र सिंह का नाम दिनांक 13.02.2008 को परित्याग पत्र (रिलीज डीड) के आधार पर हस्तान्तरण संयुक्त रूप से किया गया। श्रीमती समझ कुमारी पत्नी स्व.श्री नरेन्द्र सिंह की मृत्यु दिनांक 20.03.2010 को हो चुकी है। श्रीमती समझ कुमारी पत्नी स्व.श्री नरेन्द्र सिंह द्वारा इस आवास की वसीयत अपने जीवनकाल में जरिये वसीयतनामा आलेखित कर दिनांक 22.10.2007 को अपने पुत्र श्री सत्येन्द्र सिंह पुत्र स्व.श्री नरेन्द्र सिंह के पक्ष में आलेखित की गई। श्री सत्येन्द्र सिंह पुत्र स्व.श्री नरेन्द्र सिंह द्वारा इस कार्यालय में प्रतिवेदन प्रस्तुत कर आवास संख्या 4-एन-12 तलवण्डी कोटा को उक्त आवास का हस्तान्तरण/प्रतिस्थापन अपने नाम आवेदन पत्र, क्षतिपूर्ति बंधक पत्र, शपथ पत्र मृत्यु प्रमाण पत्र एवं वसीयतनामा के आधार पर करने हेतु आवेदन किया गया।

अत: इस आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन आवेदन पत्र, क्षतिपूर्ति बधंक पत्र, शपथ पत्र मृत्यु प्रमाण पत्र एवं वसीयतनामा के आधार पर श्री सत्येन्द्र सिंह पुत्र स्व.श्री नरेन्द्र सिंह के नाम करने में किसी भी पक्षकार/व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस के अन्दर इस कार्यालय को सूचित करें। अन्यथा यह मानते हुए कि इस आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन श्री सत्येन्द्र सिंह पुत्र स्व.श्री नरेन्द्र सिंह के नाम किये जाने में किसी भी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ति नहीं है। उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन श्री सत्येन्द्र सिंह पुत्र स्व.श्री नरेन्द्र सिंह के नाम दर्ज कर दिया जावेगा।

उप आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, कोटा वृत्त कोटा

कार्यालय कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

क्रमांक:-एफ-15/कृ.भू.रू./2024/1993 **विज्ञप्ति** दिनांक:-13.08.2024

सर्व साधारण को जर्ये विज्ञप्ति सूचित किया जाता है कि ग्राम नयानोहरा में स्थित कृषि भूमि योजना बैचमार्क टाउनशिप-II में स्थित भूखंड संख्या बी-52 आवेदक/आवेदिका श्रीमती रवि नंदिनी गुप्ता पत्नी स्व. श्री नरेन्द्र प्रकाश गुप्ता निवासी 4-के-37 तलवण्डी कोटा राज. नाम हस्तान्तरण हेतु ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत किया गया है। उक्त भूखंड का पट्टा आदेश क्रमांक 2034 दिनांक 21.01.2014 को श्री नरेन्द्र प्रकाश गुप्ता पुत्र श्री सूरज नारायण गुप्ता एवं श्रीमती रवि नंदिनी गुप्ता पत्नी स्व. श्री नरेन्द्र प्रकाश गुप्ता के नाम जारी किया गया था। पट्टाधारी नरेन्द्र प्रकाश गुप्ता की मृत्यु प्रमाण पत्र अनुसार दिनांक 30.06.2020 को हो चुकी है। जिसके विधिक वारिसान पत्नी रवि नंदिनी गुप्ता, पुत्र अंकुर गुप्ता व अंकित गुप्ता है। वारिसान अंकुर गुप्ता व अंकित गुप्ता द्वारा जर्ये रजि. हकत्याग पत्र दिनांक 20.07.2020 को आवेदक के पक्ष में किया गया है।

अत: श्रीमती रवि नंदिनी गुप्ता पत्नी स्व. श्री नरेन्द्र प्रकाश गुप्ता के पक्ष में नाम हस्तान्तरण जारी किये जाने में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो अन्दर 7 योम कार्यालय में उपस्थित होकर अथवा लिखित में अद्योहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें। मियाद गुजर जाने के बाद आपत्ति मान्य नही होगी।

उपसचिव कोटा विकास प्राधिकरण

कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

क्रमांक:-एफ11विक्रय/2024/1638 दिनांक:-13.08.24

नाम हस्तान्तरण चाहने बाबत आम सूचना

नगर विकास न्यास कोटा द्वारा भूखंड संख्या 697 मुकुन्दरा विहार विस्तार आवासीय योजना में आवंटन पत्र क्रमांक 336 दिनांक 10.03.2021 को श्रीमती सीमा नागर पत्नी श्री ओमप्रकाश नागर के नाम आवंटन किया गया था। श्रीमती सीमा नागर पत्नी श्री ओमप्रकाश नागर द्वारा उक्त भूखंड का जर्ये मुख्तारआम श्री महावीर शृंगी पुत्र श्री दामोदर शृंगी द्वारा जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 25.06.2024 को श्रीमती रतन बाई पत्नी श्री महावीर शृंगी को विक्रय कर दिया गया है। अत: श्रीमती रतन बाई पत्नी श्री महावीर शृंगी द्वारा उक्त भूखंड का स्वामित्व अपने नाम से नामहस्तान्तरण करने हेतु न्यास में आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

अत: जरिये आम सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम हस्तान्तरण की स्वीकृति देने में किसी को भी कोई ऐतराज हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिवस के अन्दर अन्दर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा मियाद गुजरने के पश्चात उक्त भूखंड संख्या 697 मुकुन्दरा विहार विस्तार आवासीय योजना का नाम हस्तान्तरण श्रीमती रतन बाई पत्नी श्री महावीर शृंगी के नाम स्वीकृति जारी कर दी जावेगी।

उपसचिव कोटा विकास प्राधिकरण कोटा

दशहरे मेले की तैयारियां जोरों पर

कोटा, (निसं)। राष्ट्रीय मेला दशहरा 2024 के आयोजन हेतु मेला एवं अन्य उत्सव आयोजन समिति के अध्यक्ष विवेक राजवंशी की अगुवाई में मेला प्रभारी महावीर सिंह सिसोदिया के साथ पूरे मेला परिसर का राउण्ड किया गया। मेला परिसर के नक्शे के साथ वेस्ट जोन, नोर्थ जोन एवं ईस्ट जोन की दुकानों और स्थान के आंवटन के सन्दर्भ मौके पर मेला व्यापार संघ के साथ चर्चा कर तैयारी करने हेतु निर्देशित किया गया। मेले में अधिक से अधिक दुकानों के आंवटन एवं पर्याप्त स्थान के साथ-साथ आमजन की सुविधा हेतु विस्तार से भ्रमण कर दिशा-निर्देश प्रदान किये गये। मेला राउण्ड के दौरान मेला प्रभारी महावीर सिंह सिसोदिया, सहायक

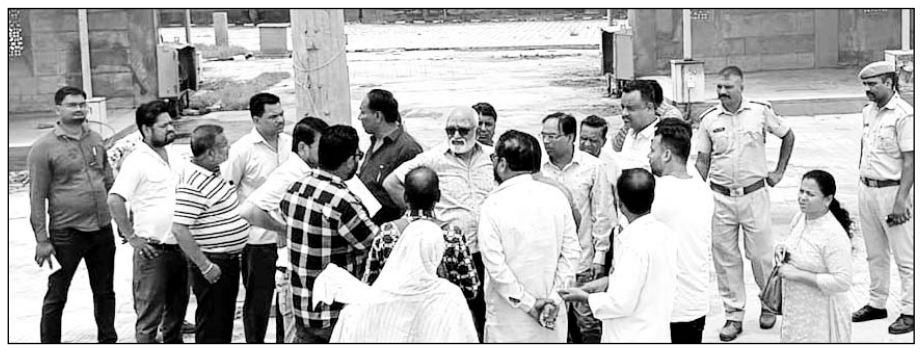

कोटा राष्ट्रीय दशहरे मेले की तैयारी को लेकर अध्यक्ष विवेक राजवंशी और मेला अधिकारी महावीर सिंह सिसोदिया ने ग्राउंड का निरीक्षण किया।

अभियन्ता भुवनेश नावरिया, तोसिफ खान, कनिष्ठ अभियन्ता महेन्द्र प्रजापत, राजस्व अधिकारी द्वितीय विजय अग्निहोत्री, राजस्व निरीक्षक रियाज एवं मेला व्यापार संघ के पदाधिकारी साथ में रहे।

वेस्ट मेटेरियल से कलात्मक वस्तुओं का निर्माण

कोटा नगर निगम की पहल पर वेस्ट मैटेरियल से कलात्मक वस्तुओं का निर्माण किया जा रहा है।

कोटा, (निसं)। निगम कोटा उत्तर के आयुक्त अनुराग भार्गव के निर्देशानुसार डेएनयूएलएम योजना की स्वंय सहायता समूह की महिलाओं ने "हर घर तिरंगा" अभियान के तहत वेस्ट मटीरियल से रचनात्मक, सकारात्मक व सृजनात्मक वस्तुओं का निर्माण किया और तिरंगा थीम पर रचनात्मक संदेश दिया। नगर निगम कोटा उत्तर के आयुक्त अनुराग भार्गव ने बताया कि हर घर तिरंगा अभियान के तहत डेएनयूएलएम अनुभाग की स्वंय सहायता समूह की महिलाओं ने अनुपयोगी व वेस्ट मटीरियल को उपयोग में लेकर विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का निर्माण किया और भारत देश की छवि को बहुत ही अच्छे तरीकें से प्रदर्शित कर बताया कि हम भारतवासी हर अनुपयोगी वस्तु को भी उपयोगी बनाने का सामर्थ्य रखते है। उन्होने बताया कि महिलाओं ने क्रोशिया मेटीरियल से तिरंगो का निर्माण किया और राजस्थानी व्यंजन घेवर को तिरंगे के रंग में रंगकर देशभक्ति व कला का प्रदर्शन किया। डेएनयूएलएम योजना की प्रबंधक हेमलता गांधी ने बताया कि हर घर तिरंगा अभियान के तहत मधुमिता द्वारा अनुपयोगी प्लास्टिक बोतल, पेन, पिस्ते के छिलके व दवाई के खाली पैकेट से तिरंगे कलर का इयरिंग, फिंगर रिंग व नैकलेस भी बनाया गया। साथ ही सुमन शर्मा द्वारा राजस्थानी घेवर को तिरंगा थीम मे बनाया गया व अदिती जैन ने क्रोशिया से तिरंगा कलर ड्रेस कोस्ट्यूम एवं राखियां बनाई, जो कि रियूजेबल है। उन्होने बताया कि शिवानी ने तिरंगा कलर से चावल को रंगकर डेकोरेट किया। यासमीन ने बच्चों के हाथों पर तिरंगे रंग की पेन्टिंग बनाई और साथ ही डॉली ने रिस्ट बैण्ड भी बनाया। इस अवसर पर सामुदायिक सहायक कर्ता मिनाक्षी, राखी, प्रियंका, ममता, रेणु मधुमिता सुमन, अदिती, शिवानी, रजनी ने 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के संदर्भ में देश प्रेम को विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से प्रदर्शित किया और सभी महिलाओं ने अनुपयोगी वस्तुओं से बनी इयरिंग पहनकर देशभक्ति की शपथ ली। साथ ही हर घर तिरंगा घर-घर तिरंगा के नारे का उद्घोष किया।

डॉ. श्रीवास्तव की पुस्तक विमोचन

कोटा, (निसं)। डॉ.एस.आर. रंगानाथन की 132वीं जयंती पर जयपुर मे राष्ट्रीय पुस्तकालयाध्यक्ष दिवस पर राजकीय सार्वजनिक मण्डल पुस्तकालय कोटा के संभागीय पुस्तकालयाध्यक्ष डॉ.दीपक कुमार श्रीवास्तव की पुस्तक का विमोचन जयपुर मे हुआ। फ्रोम केआस टू क्लेरीटी-ए प्रेक्टीकल एप्रोच टू इन्फोरमेशन मेनेजमेंट पुस्तक विमोचन समारोह जयपुर स्थित निदेशालय भाषा एवं पुस्तकालय विभाग जयपुर मे हुआ। समारोह में डॉ.मृदुला चतुर्वेदी विशेषाधिकारी भाषा एवं पुस्तकालय विभाग, डॉ.रेणुका राठौर उपनिदेशक (अनुवाद) भाषा एवं पुस्तकालय विभाग, संदीप यादव उपनिदेशक भाषा एवं पुस्तकालय विभाग ने विमोचन किया। कहा कि यह पुस्तक वर्किंग लाईब्रेरी प्रोफेशन्ल्स को सूचना प्रबंधन के प्रायोगिक पक्ष से रूबरू कराती हैं।

राजस्थान आवासन मण्डल कोटा वृत्त कोटा

क्रमांक 2978 **जाहिर आम सूचना** दिनांक - 07.08.24

आवास संख्या 4-एच-10 रंगबाड़ी कोटा का आवंटन मंडल द्वारा श्री अभय नाहर पुत्र श्री संतोष चन्द नाहर को किया गया था। इस आवास का नियमितिकरण श्रीमती अरुणा अग्रवाल पत्नी श्री सुखनन्दन अग्रवाल के नाम दिनांक 19.09.2017 को किया गया। इस आवास का पंजीयन श्रीमती अरुणा अग्रवाल पत्नी श्री सुखनन्दन अग्रवाल द्वारा दिनांक 15.11.2017 को अपने पक्ष में करवाया जा चुका है। पंजीयन उपरांत श्रीमती अरुणा अग्रवाल पत्नी श्री सुखनन्दन अग्रवाल द्वारा उक्त आवास का बैचान जरिये विक्रय पत्र आलेखित कर दिनांक 02.07.2018 को श्री प्रणव कुमार गुप्ता पुत्र श्री मनोज कुमार गुप्ता को किया गया। श्री प्रणव कुमार गुप्ता पुत्र श्री मनोज कुमार गुप्ता का नाम दिनांक 30.12.2020 को विक्रय पत्र के आधार पर मंडल अभिलेख में दर्ज किया गया। तत्पश्चात श्री प्रणव कुमार गुप्ता पुत्र श्री मनोज कुमार गुप्ता द्वारा उक्त आवास का बैचान जरिये विक्रय पत्र आलेखित कर दिनांक 27.09.2023 को श्रीमती अपर्णा शर्मा पुत्री श्री हरी ओम पत्नी श्री अमरीश जोशी को किया गया। श्रीमती अपर्णा शर्मा पुत्री श्री हरी ओम पत्नी श्री अमरीश जोशी द्वारा इस कार्यालय में प्रतिवेदन प्रस्तुत कर आवास संख्या 4-एच-10 रंगबाड़ी कोटा को विक्रय पत्र के आधार पर अपना नाम आवास के मंडल अभिलेख में दर्ज करने हेतु आवेदन किया गया।

अत: उक्त आवास के मंडल अभिलेख में विक्रय पत्र के आधार पर श्रीमती अपर्णा शर्मा पुत्री श्री हरी ओम पत्नी श्री अमरीश जोशी का नाम दर्ज करने में किसी भी पक्षकार/व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस के अन्दर इस कार्यालय को सूचित करें। अन्यथा यह मानते हुये कि उक्त आवास के मंडल अभिलेख में विक्रय पत्र के आधार पर श्रीमती अपर्णा शर्मा पुत्री श्री हरी ओम पत्नी श्री अमरीश जोशी का नाम दर्ज किये जाने में किसी भी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ति नहीं है। उक्त आवास के मंडल अभिलेख में विक्रय पत्र के आधार पर श्रीमती अपर्णा शर्मा पुत्री श्री हरी ओम पत्नी श्री अमरीश जोशी के नाम दर्ज कर दिया जावेगा।

उप आवासन आयुक्त राजस्थान आवासन मण्डल, कोटा वृत्त कोटा

नाम परिवर्तन

मैंने अपना पुराना नाम रुबीना कुरेशी से बदलकर नया नाम रुबीना अजिज खिलजी रख लिया है। भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना पहचाना जावे।

पता-रुबीना अजिज खिलजी पत्नी अजिजुद्दीन खिलजी 66, शास्त्रीनगर दादाबाड़ी कोटा

खोया-पाया

गुरदेव सिंह पुत्र कुलवंत सिंह 2-H-24 रंगबाड़ी योजना कोटा का निरस्तीकरण व कब्जा पत्र गुम हो गया है, किसी को मिलने पर सूचित करें।

राजस्थान आवासन मण्डल कोटा वृत्त कोटा

क्रमांक 3030 **जाहिर आम सूचना** दिनांक - 12.08.24

आवास संख्या 11/108 स्वामी विवेकानन्द नगर कोटा का आवंटन मंडल द्वारा श्री संतराम पुत्र श्री बद्रीलाल को किया गया था। इस आवास का नियमितिकरण श्री महावीर जैन पुत्र श्री रमेश चन्द जैन के नाम दिनांक 21.06.2013 को किया गया। इस आवास का पंजीयन श्री महावीर जै